राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या–38 / 2025

हीरालाल ताबीयार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–II), शासन सचिवायल जयपुर।
3. डॉ खुशपाल सिंह राठौड पुत्र श्री सज्जन सिंह राठौड, बाई का गडा, मेतवाला, बांसवाडा राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 24.07.2025

उपस्थित :–
प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री हरीश जांगिड, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी स. 3 की ओर से : श्री माधव व्यास, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर बांसवाडा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–10) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय बांसवाडा में किया गया है। अपीलार्थी की जन्म तिथि 07.01.1964 हैं एवं अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 07.01.2026 को निर्धारित है। ऐसे में अपीलार्थी की सेवानिवृति में 1 वर्ष से कम का समय शेष है।
2. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा से चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी। आदेश दिनांक 10.02.1994 के द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है (अनुलग्नक–1)। इसके पश्चात अपीलार्थी का विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण किया गया, जहां पर अपीलार्थी ने संतोषजनक सेवाएं प्रदान की। अपीलार्थी को वरिष्ठ

चिकित्सा अधिकारी पद पर पदोन्नति प्रदान की गई एवं बागीदोरा अस्पताल में नियुक्त किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 16.07.2018 के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी को बाद में स्थानांतरण द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा के पद पर पदस्थापित किया गया। संशोधित वेतनमान नियमों के अंतर्गत दिनांक 05.07.2022 के आदेश द्वारा वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान करते हुए वेतन निर्धारण किया गया। (अनुलग्नक–6) अपीलार्थी को वेतन मैट्रिक्स L–21 में निर्धारित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 22.7.2022 को एक आदेश जारी किया गया था जिसके तहत अपीलार्थी को सीएमएचओ, बांसवाड़ा से सीएचसी, कोटडी, भीलवाड़ा में स्थानांतरित किया गया था, जिसमें उसका पदनाम उप निदेशक के रूप में दर्शाया गया था (अनुलग्नक–7)। दिनांक 07.09.2022 को एक आदेश जारी किया गया था जिसके द्वारा दिनांक 22.07.2022 के आदेश को संशोधित किया गया और पद उप निदेशक के स्थान पर पीसीएमओ और नवीन पदस्थापन स्थान को सीएचसी, कोटडी भीलवाड़ा के स्थान पर सीएचसी, कोटडी भीलवाड़ा को चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद पर पढ़ा जाना संशोधित किया गया (अनुलग्नक–8)। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.09.2022 के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया और इस प्रकार, अपीलार्थी को सीएमएचओ, बांसवाड़ा के पद पर बनाए रखा गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 04.10.2022 को एक आदेश जारी किया गया था जिसके तहत अपीलार्थी को अग्रिम आदेशों तक कार्यालय सीएमएचओ बांसवाड़ा के पद हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) की शक्तियां प्रदान की गई थीं (अनुलग्नक–9)। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–10) जारी किया जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण सीएमएचओ बांसवाडा से जिला चिकित्सालय बांसवाडा किया गया है। अपीलार्थी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सैकेण्डरी प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 07.01.1964 अंकित है (अनुलग्नक–11)। अपीलार्थी की सेवानिवृति में एक वर्ष से कम का समय शेष रहा है। जिसके बावजूद भी अपीलार्थी का आलोच्य आदेश द्वारा अन्यत्र स्थानांतरण किया गया है।

3. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 दुर्भावनापूर्वक, मनमाना एवं अवैध होने से निरस्त योग्य है, जो बिना विवेक का प्रयोग किये पारित किया गया है। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति से एकदम पहले आलोच्य आदेश जारी किया गया है। शुभा मेहता के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति से दो वर्ष की पूर्व अवधि में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। आलोच्य आदेश में प्रशासनिक आवश्यकता परिलक्षित नहीं होती है और बिना निर्धारित मानदण्डों और स्थानांतरण नीति के आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी सीएमएचओ, बांसवाड़ा के पद पर कार्यरत है, जिसके अधीन जिले के समस्त चिकित्सालय, डिस्पेंसरी एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य है। उसे अब जिला चिकित्सालय, बांसवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया है और किस पद पर स्थानांतरित किया गया है, उसका अंकन आलोच्य आदेश में नहीं है। निजी प्रत्यर्थी डॉ खुशपाल सिंह राठौड़ कनिष्ठ विशेषज्ञ, एफएम के पद पर कार्यरत है तथा निजी प्रत्यर्थी की ग्रेड–पे 7600 है। जबकि अपीलार्थी पीसीएमओ के पद पर कार्यरत होने से अपीलार्थी, निजी प्रत्यर्थी से वरिष्ठ है और विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का प्रशासनिक अनुभव है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान सीएमएचओ, बांसवाड़ा में कार्यरत रखा जावें।

4. निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 डॉ खुशपाल सिंह राठौड की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आश्यकता के दृष्टिगत किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.05.2012 के आदेश सीएमएचओ बांसवाडा के पद पर पदस्थापित किया था। उक्त आदेश के पश्चात अपीलार्थी लगातार उसी पद सीएमएचओ, बांसवाड़ा पर पदस्थापित रहा है। इस समयावधि में अपीलार्थी का चार बार स्थानांतरण हो चुका है लेकिन अपीलार्थी हर बार माननीय उच्च न्यायालय/ अधिकरण से कोई न कोई स्थगन आदेश प्राप्त कर लेता है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2022 द्वारा सीएमएचओ के पद पर उसका कार्यकाल पूरा होने पर उसे अन्यत्र स्थानांतरित किया जायेगा (अनुलग्नक–1)। अतः आलोच्य आदेश इस परिपत्र के दृष्टिगत जारी किया गया है। आदेश दिनांक 15.01.2025 की क्रियान्विति हो चुकी है। निजी प्रत्यर्थी ने सीएमएचओ, बांसवाड़ा का पदभार ग्रहण कर लिया है।

अपीलार्थी के सीएमएचओ के पद पर 12 वर्षों से कार्यरत होने से अपील खारिज योग्य है। अपीलार्थी को 31.05.2012 को सीएमएचओ बांसवाड़ा के पद पर पदस्थापित किया गया (अनुलग्नक–2)। उसके पश्चात जब–जब उसके स्थानांतरण हुए, उसने स्थगन आदेश प्राप्त कर उस पद पर कार्यरत रहा (अनुलग्नक–3 से 10)। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 की पालना में दिनांक 18.01.2025 को कार्यभार हस्तांतरण किया गया है (अनुलग्नक–11)। अपीलार्थी ने वर्तमान प्रकरण में भी स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 की क्रियान्विति को माननीय अधिकरण से आदेश दिनांक 21.01.2025 से स्थगित करा लिया है (अनुलग्नक–12)। जबकि निजी प्रत्यर्थी ने आदेश दिनांक 15.01.2025 की पालना में दिनांक 18.01.2025 को ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया है। निजी प्रत्यर्थी सीएमएचओ के पद पर सेवाएं देने के लिए पात्र है। अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 2.5 किमी की दूरी पर किया गया है। ऐसे में स्थानांतरण से न तो स्थान परिवर्तित होगा और न ही सेवा शर्तें या सेवानिवृति की संभावनाओं पर कोई प्रभाव पडेगा। अधिकरण का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा मानसिंह बनाम राजस्थान राज्य डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 586/2013 की तरफ ध्यान आकर्षित किया एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया।

5. राज्य सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आलेच्य स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में जारी किया गया है। राज्य सरकार किसी अधिकारी/कर्मचारी को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरित करने के लिए सक्षम है। प्रशासनिक कार्य हेतु पदों पर स्थानांतरण पर पे–स्केल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण द्वेषपूर्ण और किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधिकरण के अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 21.01.2025 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने एकल पीठ एवं खंड पीठ में दायर रिट याचिकाओं में पारित निर्णयों की प्रति प्रस्तुत की गई है जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकरण के अंतरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या तीन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2885/2025 में

न्यायालय ने आदेश दिनांक 04.02.2025 के द्वारा दायर याचिका खारिज की गई और अधिकरण के स्थगन आदेश को यथावत रखा गया। निजी प्रत्यर्थी द्वारा दायर डीबी स्पेशल अपील संख्या 366/2025 डॉ खुशपाल सिंह राठौड बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.07.2025 द्वारा अधिकरण के आदेश में 21.01.2025 और माननीय उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2885/2025 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2025 को अपास्त किया है।

7. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम तथ्यों का अवलोकन कर मनन किया।

8. प्रस्तुत अपील में आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को सीएमएचओ, बांसवाड़ा से जिला चिकित्सालय, बांसवाड़ा में स्थानांतरित/पदस्थापित किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को जिला चिकित्सालय, बांसवाड़ा से सीएमएचओ, बांसवाड़ा के पद पर पदस्थापित किया गया है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 07.01.2026 को नियत है। साथ ही उनका निवेदन है कि आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को किस पद पर लगाया गया है, उसका अंकन नहीं है। निजी प्रत्यर्थी अपीलार्थी से कनिष्ठ है, जिसे अपीलार्थी के स्थान पर सीएमएचओ, बांसवाड़ा लगाया गया है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के परिपत्र दिनांक 15.03.2022 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद के लिए आवश्यक अनुभव एवं योग्यता निर्धारित की गई है और उसके साथ प्रफोर्मा भी संलग्न किया गया है। इस परिपत्र के अनुसार निर्धारित योग्यता एवं अनुभव धारित करने वाले कार्मिक को सीएमएचओ के पद पर कार्यरत रखा जा सकता है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि परिपत्र दिनांक 28.04.2022 के द्वारा सीएमएचओ एवं ब्लॉक सीएमएचओ के चयन हेतु इच्छित आवेदकों से आवेदन पत्र आवंटित किये गये थे, जिसमें अपीलार्थी ने अपना आवेदन विधिवत तरीके से प्रस्तुत किया था। उनका यह भी निवेदन है कि पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 22.07.2022 के द्वारा उसे उप निदेशक दर्शित कर सीएमएचओ, बांसवाड़ा से सीएचसी कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा पदस्थापित किया था, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 10796/2022 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 गलत पद अंकित किये जाने के आधार पर उस आदेश को

अपीलार्थी की हद तक अपास्त किया गया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध उस आदेश के संबंधित अंश का अवलोकन किया, जिसके अनुसार अपीलार्थी पीसीएमओ होने के बावजूद उस आदेश में उप निदेशक दर्शित किये जाने और नव पदस्थापन स्थान का पद अंकित नहीं किए जाने के आधार पर आदेश अपास्त कर नए सिरे से सही आदेश जारी करने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्यर्थी विभाग का यह निवेदन है कि अपीलार्थी लंबे समय से सीएमएचओ, बांसवाड़ा के पद पर कार्यरत है। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन को चुस्त और दुरूस्त करने के लिए प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर कर्मचारी/अधिकारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किये जाते हैं। आलोच्य आदेश बिना किसी दुर्भावना के प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9. निजी प्रत्यर्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि विभागीय परिपत्रों के अनुसार निजी प्रत्यर्थी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु पूर्णतः योग्यता रखता है। अपीलार्थी लम्बे समय से सीएमएचओ, बांसवाड़ा के पद पर पदस्थापित है और विभागीय परिपत्र दिनांक 12.08.2022 द्वारा विभागीय कार्यों की गुणवता की दृष्टि रखते हुए निम्न निर्देश पारित किये गये हैं:–

''**राजस्थान सरकार**

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप–2/2022 जयपुर, दिनांकः 12/8/2022

<u>परिपत्र</u>

विभागीय कार्य को पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थापन के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये गये हैः–

विभाग में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थापित अधिकारी एक बार में अधिकतम तीन वर्ष के लिए ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में पदस्थापित रहेंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तीन वर्ष की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम 3 वर्ष के अन्तराल के बाद चिकित्सक को पुनः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

एक जिले में एक अधिकारी का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में पूर्ण कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद पर नियुक्त चिकित्सक के अन्य जिले/चिकित्सा संस्था में स्थानान्तरण, त्याग–पत्र, सेवानिवृत्ति अथवा सेवाच्युत की

स्थिति में वह स्वतः ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद से कार्यमुक्त माना जावेगा, जब तक कि इस बारे में अन्यथा आदेश पारित नहीं किये जायें।

उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव''

10. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार और स्वयं अपीलार्थी द्वारा अपील में प्रस्तुत अपने पदस्थापन विवरण के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 01.06.2012 से 28.02.2018 तक सीएमएचओ, बांसवाड़ा के पद पर पदस्थापित रहे हैं और उसके पश्चात दिनांक 01.03.2019 से लगातार सीएमएचओ, बांसवाड़ा के पद पर पदस्थापित रहे हैं। अपीलार्थी की तरफ से सीएमएचओ बांसवाडा कार्यालय में लगाए हुए सीएमएचओ के कार्यकाल सारणी पट्ट की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार सीएमएचओ बांसवाडा के पद पर दिनांक 01.10.2011 से 08.02.2018, दिनांक 20.02. 2019 से 27.08.2020 एवं 02.01.2021 से लगातार पदस्थापित रहना पाया जाता हैं। इस प्रकार अपीलार्थी वर्तमान में सीएचएचओ बांसवाडा के पद पर तीन वर्ष से ज्यादा अवधि से पदस्थापित है। अपीलार्थी वर्तमान में पीसीएमओ के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का पदनाम पीसीएमओ अंकित है। अतः पदनाम के संबंध में अपीलार्थी द्वारा धारित पद के संबंध में कोई विसंगति आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में नहीं है। जिला चिकित्सालय, बांसवाड़ा में अपीलार्थी के समकक्ष पद स्वीकृत है। प्रस्तुत अपील के अनुसार निजी प्रत्यर्थी ग्रेड–पे 7600 धारित करता है। अपीलार्थी ग्रेड–पे 8700 धारित करता है। विभागीय परिपत्र दिनांक 15.03.2022 के अनुसार सीएमएचओ के पद हेतु 7600 ग्रेड–पे निर्धारित है।

11. निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता की तरफ से अधिकरण का ध्यान State of U.P v. Gobardhan Lal,(2004) 11 SCC 402, National Hydroelectric Power Corpn. Ltd. v. Shri Bhagwan, (2001) 8 SCC 574, B.Vardhan Rao v. State of Karnataka, (1986) 4 SCC 131, Shilpi Bose (Mrs) v. State of Bihar, 1991 Supp (2) SCC 659, N.K. Singh v. Union of India & Ors, (1994) 6 SCC 98 में पारित न्याय निर्णयों की ओर आकर्षित किया और निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत अपने कर्मचारियों को

कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी भी कर्मचारी को किसी एक पद पर लगातार पदस्थापित रहने का कोई अधिकार नहीं है।

12. जहां तक अपीलार्थी का दिनांक 07.01.2026 को सेवानिवृत्त होने से अपीलार्थी का अन्यत्र स्थानांतरण नहीं करने से सम्बन्धित बिंदु है, अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 21.01.2025 इसी आधार पर पारित किया गया था। निजी प्रत्यर्थी द्वारा इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2885/2025 डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 21.01.2025 को यथावत रखते हुए निजी प्रत्यर्थी की रिट याचिका खारिज की दी थी। तत्पश्चात निजी प्रत्यर्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डी.बी. स्पेशल रिट याचिका संख्या 366/2025 डॉ खुशपाल सिंह राठौड़ बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 15.07.2025 के द्वारा अपील स्वीकार कर अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 21.01.2025 एवं एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2885/2025 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2025 को अपास्त किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश का प्रासंगिक अंश निम्न प्रकार हैः–

> " 3. In our opinion, if that is the sole ground for staying the order of transfer dated 15th January 2025, the order passed by the Tribunal on 21st January 2025 cannot be sustained in law for the reason that the respondent no.3 has been transferred to a place which is about 2 kilometers away from the office of Chief Medical and Health Officer (C.M.H.O.), Banswara. Just to indicate, a Government employee does not have any vested right over a particular place or to a particular post.
>
> 4. In that view of the matter, we are inclined to interfere with the order dated 21st January 2025 and, accordingly, the said order is set aside. The order passed in S.B. Civil Writ Petition No.2885 of 2025 dated 4th February 2025 is also set aside.
>
> 5. However, on a request made by the learned counsel for the respondent no.3, we deem it appropriate to direct the learned Tribunal to hear the Appeal No.38 of 2025 filed by the respondent no.3 in the week commencing from 21st July

2025. The learned counsel for the appellant has given an undertaking that no adjournment shall be sought by the appellant except for unavoidable reason.

6. D.B. Special Appeal Writ No. 366 of 2025 stands allowed.. "

13. उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी 3 वर्ष से अधिक अवधि से लगातार सीएमएचओ, बांसवाड़ा के पद पर पदस्थापित है और विभागीय निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी एक बार में अधिकतम तीन वर्ष के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अधिकारी के पद पर पदस्थापित रह सकता है और न्यूनतम तीन वर्ष के अंतराल के बाद ही पुनः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थापित रह सकता है। साथ ही एक जिले में एक अधिकारी का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में पूर्ण कार्यकाल में तीन वर्ष से अधिक कार्यकाल नहीं होगा।

14. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 में कोई दुर्भावना या नियम–विरूद्धता होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य